

III फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

मोहन लाल बनाम मोहन लाल

वर्ष 1988, नं. 103, तारीख 20/11/84



हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

9/7/84 वाद/प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर
गण को सम्मन नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली दिनांक 20/11/84
श हो।

उपखण्ड अधिकारी एवं
क कलक्टर, करेड़ा

9/7/84 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है/पद रिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 9/9/84 का पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

9/9/84 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है/पद रिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 20/11/84 का पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

25/11/84 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है/पद रिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 20/11/84 का पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

22/11/84 उभय पक्ष उपस्थित पीठासीन अधिकारी राजकीय
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है/पद रिक्त है।
अतः पत्रावली दिनांक 10/3/85 का पेश हो।
उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

20/3/85 पत्रावली प्रकीर्ण करी व स्पष्ट करी
के प्रार्थना पत्र पर शिगह से लक्ष्य की
गयी प्रकण में करी व करी अन्वेषण मोहन लाल
के एक प्राण्ड प्रहुर का कथन कि

FORM NO. III

फर्द अहकाम

न्यायालय उपखंड अधिकारी

(नियम 26)

अज अदालत... पदेन सहायक क्लर्क

मुकाम... कोरगा

करेझ (धीतवाझ)

बनाम... 1 कपन

मोटन

किस्म मुकदमा

103/2024

नं... सन

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

कि वाणी व परिवारी के मध्य आपसी शपथाना हो जाने से जारी उक्त वाउचर में जारी कोई कार्यवाही नहीं चालने का निवेदन किया, वाणी द्वारा उक्त वाउचर व वाउचर का खर्चोक्त सिद्धा, कपन पर मनव सिद्धा प्रकरण में वाणी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं चालने से जारी के वाउचर की कार्यवाही जारी रह पासना ही जारी है। प्रत्यक्ष फेल्लु इतना एक उक्त मध्य से कर है।

उपरि उक्त अधिकारी पदेन सहायक क्लर्क करेझ